उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN : U32201UP1999SGC
e-mail – dgmiruppcl2017@gmail.com

संख्या–5490–औ0सं0–17/पाकालि/2023–11(28)/एएस/04(टी0सी0) **दिनांक: 21 दिसम्बर, 2023**

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में लागू सी0जी0एच0एस0–2014 की दरों में गैर सूचीबद्ध उपचार प्रक्रियाओं एवं इम्प्लांट्स पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी डिस्कॉम के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंन्शनरों को अन्तःरोगी एवं वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की प्रतिपूर्ति हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या–3330–औ0सं0/2016–11(28)ए0एस0/2004(VOI-2015/CGHS) दिनांक 08.08.2018 द्वारा सी0जी0एच0एस0–2014 की मानक दरें लागू हैं। उक्त दरों में जटिल एवं गम्भीर बीमारियों की आधुनिक तकनीक से कराये गये गैर सूचीबद्ध उपचार प्रक्रियाओं/इम्प्लांट्स पर निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त निम्नवत् व्यवस्था लागू की जाती है :–

1. मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों या चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य के भीतर उपचार के लिए संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की दरों या राज्य के बाहर हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, अनुमन्य किया जायेगा।
2. प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर गैरमान्य चिकित्सालयों में उपचार कराने पर उक्त दरों की 75 प्रतिशत या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
3. उक्त उपचार कराये जाने से पूर्व सम्बन्धित सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं पारिवारिक पेंन्शनरों द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त की जायेगी। कारपोरेशन मुख्यालय के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0) एवं डिस्कॉम के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों हेतु सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक तथा समस्त कैशलेस उपचार के प्रकरणों में महाप्रबन्धक (चिकित्सा) की संस्तुति पर निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0) द्वारा पूर्वानुमति प्रदान की जायेगी।
4. पूर्वानुमति प्राप्त न करने की दशा में उपचार में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति में महाप्रबन्धक (चिकित्सा) की संस्तुति पर निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0) द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त न करने के कारणों पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

सं0–5490– औ0सं0–17/2023 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/एस0एल0डी0सी0लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।

Kumar

3. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव शक्ति भवन लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) उ0प्र0पा0ट्रॉ0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन) एवं (निधि प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 196(2) वीं बैठक में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. कट फाइल।

Kumar 21/12/23

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)